[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 04/2023-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 मार्च, 2023

सा.का.नि. .... (अ)—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये 26 दिसंबर, 2022 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 8 में,--

(i) उपनियम (4क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4क) जहां कोई आवेदक, धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न, उपनियम (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन के लिए विकल्प का चयन करता है, वहां वह आधार संख्यांक अधिप्रमाणन करेगा और आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख, आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन करने की तारीख या उपनियम (4) के अधीन प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में आवेदन प्रस्तुत करने से पन्द्रह दिन, जो भी पहले हो, होगी।

परंतु यह कि धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उपनियम (4) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन में, जिसने आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन के लिए विकल्प का चयन किया है और जिसकी पहचान डाटा विश्लेषण तथा जोखिम मानदंडों के आधार पर सामान्य पोर्टल पर की गई है, बायोमैट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन किया जाएगा और जहां आवेदक कोई व्यक्ति है, वहां आवेदक का फोटो लेकर अनुपालन किया

जाएगा या धारा 25 की उपधारा (6ग) के अधीन यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में ऐसे व्यक्तियों का जहां आवेदक व्यक्ति नहीं है, वहां इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्रों में से किसी एक पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन के साथ दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन सहित अपलोड की जाएगी और इस परंतुक के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात् ही आवेदन पूरा हुआ समझा जाएगा ।";

(ii) उपनियम (4ख) में, "के उपबंधों" शब्दों के स्थान पर, "का परंतुक" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. सीबीआईसी-20013/1/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)

निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सं. सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 26/2022-केंद्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2022 द्वारा सं. सा.का.नि. 902(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।